राजीव कुमार दीक्षित
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर – 208 002
फोन : 540591 (कार्यालय)
पी0बी0एक्स0 : 294641–45 (106)

16

१–	कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	अध्यक्ष
२–	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
३–	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
४–	सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
५–	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
६–	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
७–	डा० बी०एस०हन्सारा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
८–	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद, अशोक नगर, इटावा	सदस्य
९–	डा० एच० के० सक्सेना २ए/४०८ आजाद नगर, कानपुर।	सदस्य
१०–	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल, महामंत्री, गौशाला भवन, ५५/११२ जनरल गंज, कानपुर	सदस्य

पत्रांक : सीएसयूपी- सी-२६६/बोर्ड-११८/२००२ दिनांक :जुलाई ०६, २००२

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की ११८वीं बैठक जो दिनांक ०१-०७-२००२ को कुलपति महोदय के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की एक प्रति आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(आर० के० दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपुर—208 002

प्रबन्ध मण्डल की

118वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : जुलाई ०१, २००२
समय : पूर्वान्ह ११:३० बजे
स्थान : कुलपति समिति कक्ष , चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२
प्रबन्ध मण्डल की ११८ वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति समिति कक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

दिनांक : जुलाई ०१, २००२
समय : पूर्वान्ह ११.३० बजे

उपस्थिति

१	डा० एस०बी०सिंह कुलपति	अध्यक्ष
२	डा० नसीम जैदी, कृषि सचिव	सदस्य
३	श्री राजेन्द्र सिंह, निदेशक, कृषि	सदस्य
४	श्री पुरूषोत्तम लाल तोशनीवाल	सदस्य
५	श्री अशोक कुमार दुबे, सदस्य विधान परिषद	सदस्य
६	श्री आर० के० दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थित

१	सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
२	सचिव, वित्त	सदस्य
३	निदेशक, पशुपालन	सदस्य
४	डा० बी०एस०हन्सारा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
५	डा० हरी कृष्ण सक्सेना	सदस्य

मद संख्या १

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक २५.०२.२००२ को सम्पन्न हुई ११७वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने ११७ वीं बैठक जो दिनांक २५.०२.२००२ को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या २

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की ११७वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक २५.०२.२००२ को सम्पन्न हुई ११७वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही पर सहमति एवं संतुष्टि व्यक्त की गयी।

मद संख्या ३

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दैनिक श्रमिकों द्वारा योजित याचिका संख्या-७६४२/९४ एवं १६९१०/९४ में पारित निर्णय दिनांक २४-४-२००० के विरूद्ध योजित याचिका संख्या-५६१/२००० तथा संख्या-५६५/२००० पर दिनांक १०-५-२००१ को दिये गये निर्णय के अनुपालन में शासन के निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- १४३२६/२००१, १४६२४/२००१ एवं १५०३५/२००१ पर दिनांक १०-१२-२००१ को पारित निर्णय के सापेक्ष दाखिल रिव्यू याचिका संख्या-४७८/२००२ पर दिनांक १-५-२००२ को पारित निर्णय का अनुपालन

9.7.02

करने हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ता देने तथा विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में बनायी गयी सेवा शर्तों का अनुमोदन करने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाय।

६४ दैनिक श्रमिक जो याचिका में याची हैं को उनके सम्बन्धित वेतनमान का न्यूनतम तथा उस पर देय महँगाई भत्ते के समतुल्य धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जाय। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त आदेशों के पालन से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार हेतु शासन से धनराशि प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाय ।

प्रबन्ध मण्डल ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की प्रस्तुत विनियमितीकरण नियमावली पर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या ४

डा० एस० के० श्रीवास्तव, कनिष्ठ वैज्ञानिक (कीट विज्ञान), राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना मैनपुरी का २ वर्ष (दिनांक २०.३.२००२ से १९.३.२००४) तक धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ५

डा० राजेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक (प्लान्ट ब्रीडिंग), पादप प्रजनन एवं आनुवंशकीय विभाग का दो वर्ष (दिनांक ०८.०४.२००२ से ०४.०७.२००४) तक धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ६

श्री संजय यादव, सहायक प्राध्यापक (सिविल इंजीनियर), बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा को २ वर्ष के धारणाधिकार के उपरान्त भी कार्यभार न ग्रहण करने के कारण उनकी सेवायें २३.११.२००१ के अपरान्ह से समाप्त करने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं श्री संजय यादव, सहायक प्राध्यापक (सिविल इंजीनियर), बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा की सेवायें २३.११.२००१ के अपरान्ह से समाप्त करने का निर्णय लिया।

मद संख्या ७

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी प्रपत्र दिनांक १९.४.२००१ के अनुपालन में सीनियर स्केल रू० १००००-१५२०० में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को चयन वेतनमान रू० १२०००-१८३०० स्वीकृत किये जाने संशोधन का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं आई०सी०ए०आर० द्वारा संस्तुत संशोधन को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि शासन से तदनुसार शासनादेश को संशोधित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाय।

9.7.02

मद संख्या ८

विश्वविद्यालय की विषम वित्तीय स्थिति पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की विषम आर्थिक स्थिति को संज्ञान में लिया तथा चिन्ता व्यक्त किया। विस्तृत विचार के बाद निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर और अधिक प्रयत्न कर अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।

मद संख्या ६

डा० एस०एल०कटियार, प्राध्यापक / ज्वार एवं चारा अभिजनक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशकी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की धारा २७ के अर्न्तगत मध्यस्थ नियुक्त किये जाने विषयक प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रकरण पर विचार किया एवं श्री राजेन्द्र सिंह, कृषि निदेशक को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा २७ के अर्न्तगत गठित माध्यस्थम अधिकरण (Tribunal of Arbitration) में प्रबन्ध मण्डल का सदस्य नामित किया।

मद संख्या १०

डा० ओमपाल सिंह, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग का चिकित्सा अवकाश दिनांक १७.३.२००१ से ६.११.२००१ तक (२३५ दिन) स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ११

डा० राज बहादुर सिंह, सहायक प्राध्यापक, प्रसार निदेशालय का चिकित्सावकाश के आधार पर दिनांक ३.५.२००१ से ३१.७.२००१ तक (कुल ६० दिन) का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १२

इस विश्वविद्यालय में वेतनमान रू० ४७०-७३५ पुनरीक्षित रू० १२००-२०४० के संशोधित वेतनमान रू०१३५०-२२०० को अनुमान्य कराया जाना ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं यह निर्देश दिये कि शासन स्तर पर प्रकरण को शीघ्र निस्तारित कराया जाय क्योकि शासन स्तर से यह वेतनमान फैजाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों हेतु वर्ष १९९३ से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

मद संख्या १३

डा० डी०एन०शर्मा, प्राध्यापक एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी जो ३० जून २००२ को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मुख्य कार्मिक अधिकरी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार एवं अनुमोदन ।

इस प्रकरण पर निर्गत हुये शासनादेश प्राप्त करके आगामी प्रबन्ध मण्डल में रखा जाय।

मद संख्या १३ अ

डा० प्रकाश सिंह, प्राध्यापक (कपास) को १ जुलाई, २००२ से एक वर्ष के लिए संविदा पर प्राध्यापक पद पर नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव ।

इस प्रकरण पर निर्गत हुये शासनादेश प्राप्त करके आगामी प्रबन्ध मण्डल में रखा जाय।

9.7.02

मद संख्या १४

डा० आर०एस०भदौरिया सह् प्राध्यापक जो ३० जून २००२ को सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनहे प्रभारी अधिकारी विधि प्रकोष्ठ के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार एवं अनुमोदन।

इस प्रकरण पर निर्गत हुये शासनादेश प्राप्त करके आगामी प्रबन्ध मण्डल में रखा जाय।

मद संख्या १५

विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राविधिक सहायक/पी०आर०सी० वेतनमान में कार्यरत शोध सहायक/अवर अभियंता/सहायक अभियंता की प्रोन्नति की नीति निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं निम्नानुसार प्रोन्नति की स्वीकृति प्रदान की।

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>पदनाम
वेतनमान
स्वीकृत पदों संख्या</th><th>प्रोन्नत पदनाम
वेतनमान</th><th>प्रोन्नति की प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>१</td><td>प्राविधिक सहायक
५०००-१५०-८०००
१०</td><td rowspan="2">सहायक अभियन्ता
(कृषि अभियंत्रण)
८०००-२७५-१३५००</td><td rowspan="2">प्रोन्नति पद में स्वीकृत पद के ५० प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भरे जायेंगें ।</td></tr>
<tr><td>२</td><td>शोध सहायक (अभियंत्रण)
पी०आर०सी वेतनमान
५०००-१५०-८०००
२</td></tr>
<tr><td>३</td><td>अवर अभियन्ता
४५००-१२५-७०००
८</td><td>सहायक अभियन्ता
(निर्माण)
८०००-२७५-१३५००</td><td>तदैव</td></tr>
<tr><td>३</td><td>सहायक अभियन्ता(निर्माण)
८०००-२७५-१३५००
४</td><td>अभियन्ता(निर्माण)
१००००-३२५-१५२००</td><td>तदैव</td></tr>
<tr><td>४</td><td>सहायक अभियन्ता
(कृषि अभियंत्रण)
८०००-२७५-१३५००
२</td><td>अभियन्ता
(कृषि अभियंत्रण)
१००००-३२५-१५२००</td><td>तदैव</td></tr>
</table>

9.7.02

मद संख्या १६

वर्ष २००२-२००३ में प्रवेश पाने वाले छात्रों की शुल्क वृद्धि पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं निर्णय लिया कि वर्ष २००२-२००३ में प्रवेश पाने वाले छात्रों से निम्न प्रकार शुल्क प्राप्त किया जाय।

Particulars	UG Proposed (In Rs.)	PG Proposed (In Rs.)	Ph.D. Proposed (In Rs.)
A. Annual dues			
1. Magazine	15	15	15
1. Student Aid Fund	15	15	15
2. Admission Fee	300	300	300
3. Medical Examination	50	50	50
4. Caution money (Refundable)	500	500	500
5. Identity Card	20	20	20
B. Semester Fee			
2. Tuition	2400	2700	3600
3. Library	60	60	60
4. Medical	20	20	20
5. Games	25	25	25
6. Entertainment	10	10	10
7. Laboratory	200	200	200
8. Examination	300	400	400
9. Utensil	15	15	15
10. Fan	25	25	25
11. Tour	20	20	20
12. Semester Mark sheet	15	15	15
13. Extra Curricular	40	40	40
C. Thesis evaluation	-	1000	3000
D. Re Registration fee	-	5000	5000
E. Hostel per semester			
Single seat with Electric	1080	1080	1080
Double seated with Electric	720	720	720
Triple seated with Electric	480	480	480
Other fees			
Scrutiny	100	100	100
Provisional Degree	20	20	20
Certificate Transcript	25	25	25
Migration	30	30	30
Degree	300	300	300
Course repeat per subject	500	500	500
Duplicate Degree	500	500	500
Mess Security	3000	3000	3000
Mess Charges	1000	1000	1000

9.7.02

मद संख्या १७

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शैक्षिक प्रगति, वित्तीय प्रगति तथा शोध एवं प्रसार प्रगति पर आख्या।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की शैक्षिक, शोध, प्रसार एवं वित्तीय प्रगति को संज्ञान में लिया तथा संतुष्टि व्यक्त किया।

मद संख्या १८

नये कोर्स / विभागों में टापर स्कालरशिप के प्राविधान के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर निम्न टापर स्कालरशिप दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

क्रम संख्या	विषय	स्नातक	परास्नातक
१	बी०एस-सी० (वानिकी)	३	
२	एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट	३	
३	बजेटेबिल सांइस		१
४	डेरी सांइस टेक्नोलोजी		१

मद संख्या १९

याचिका संख्या-८३६/९४ के ५२ याचीगणों में से ४ याचीगण डा० राकेश कुमार सिंह, डा० श्रीमती दीपा सक्सेना, डा० फजल अहमद व श्री अंजनी कुमार सिह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के सापेक्ष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक २५.२.२००२ के मदसंख्या-३ में शोध सहायकों को शिक्षक घोषित किये जाने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं जो शोध सहायक पी०एच-डी० की उपाधि रखते हैं उन्हे शिक्षक घोषित किये जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या २०

डा० जनार्दन चतुर्वेदी, तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द, मथुरा (वर्तमान समय में मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, थरियॉव फतेहपुर) पर लगाये गये वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों पर जॉच अधिकारी डा० वी०एस० वर्मा, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० जनार्दन चतुर्वेदी पर लगाये गये आरोपों पर जॉच अधिकारी डा० वी०एस० वर्मा, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की आख्या पर विस्तार से विचार विमर्श किया तथा निर्णय लिया कि डा० जनार्दन चतुर्वेदी को उनपर लगाये गये आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस दिया जाय।

मद संख्या २१

डा० बी०के०यादव, उप कुलसचिव, डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा की धारणाधिकार की अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप सेवायें समाप्त किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर डा० बी०के०यादव, उप कुलसचिव, डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा की सेवायें दिनांक २७.५.२००१ से समाप्त करने पर अनुमोदन प्रदान किया।

[signature] 9.7.02

मद संख्या २२

नव सृजित कृषि व्यवसाय प्रबन्ध, वानिकी एवं शाकभाजी विज्ञान विभागों हेतु कृषि संकाय के विभिन्न विभागों के समर्पित पदों के सापेक्ष प्रस्तावित वाँछित शिक्षकों के नये पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान किया। यह भी निर्णय लिया किं निम्न पदों की स्वीकृति हेतु शासन का भी अनुमोदन शीघ्र प्राप्त कर लिया जाय।

क्रम संख्या	सृजित वर्तमान पद	वेतनमान	वाँछित / परिवर्तित पद	वेतनमान
१	सहायक प्राध्यापक, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्धन विभाग (डा० एस०एस०सचान की मृत्यु से रिक्त)	८०००-१३५००	सहायक प्राध्यापक, वानिकी विभाग	८०००-१३५००
२	रेडियो फिजियोलॉजिस्ट सस्य दैहिकी विभाग	८०००-१३५००	सहायक प्राध्यापक, वानिकी विभाग	८०००-१३५००
३	अर्थ बनस्पति विद् (शाक भाजी) शाकभाजी अनुभाग वर्तमान में कार्यरत डा० जे०पी०श्रीवास्तव	१२०००-१८३००	प्राध्यापक, शाकभाजी सब्जी विज्ञान विभाग	१६४००-२२४००
४	सहायक अभिजनक, शाकभाजी अनुभाग (डा० एस०एन० सिंह की सेवा निृत्ति से रिक्त)	८०००-१३५००	सहा० प्राध्यापक, शाकभाजी सब्जी विज्ञान विभाग	८०००-१३५००
५	इकोनोमिस्ट / सह् प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यकीय विभाग (डा० जी०एन०सिंह की सेवानिवृत्ति से रिक्त)	१२०००-१८३००	सह् प्राध्यापक, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग	१२०००-१८३००
६	सहायक पादप रोग विद् रबी सस्य अनुभाग (डा० रामजी शुक्ला की सेवानिवृत्ति से रिक्त)	८०००-१३५००	सहायक प्राध्यापक, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग	८०००-१३५००
७	ट्रेस एलीमेंन्ट आफीसर सस्य दैहिकी विभाग	८०००-१३५००	सहायक प्राध्यापक, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग	८०००-१३५००

मद संख्या २३

तदर्थ योजनाओं से संबधित वैज्ञानिको को मानदेय दिये जाने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं तदर्थ योजनायें जो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत होकर प्राप्त होती हैं के मुख्य अन्वेषक / सह् अन्वेषक को प्रोत्साहन स्वरूप इन्स्टीटियुशनल चार्ज की कुल धनराशि का २ प्रतिशत भाग देने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया। यह धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में योजना के सफल संचालन पर प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनोपरान्त दिये जाने के निर्देश दिये।

मद संख्या २४

बजट परीक्षण समिति द्वारा संस्तुत वित्तीय वर्ष २००२-२००३ के आय व्ययक पर अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने बजट परीक्षण समिति द्वारा संस्तुत निम्न आय-व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया।

१. आयोजनेत्तर पक्ष के वर्ष २००१-२००२ का पुनरीक्षित अनुमान रू०३५८८.०० लाख तथा वर्ष २००२-२००३ का प्रस्तावित अनुमान रू० २६६५.३८ लाख।

२. डा० बी० आर० अम्बेडकर कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा (आयोजनेत्तर पक्ष) का वर्ष २००१-२००२ को पुनरीक्षित अनुमान रू० २६२.३२ लाख तथा वर्ष २००२-२००३ का प्रस्तावित अनुमानरू० २३२.६८लाख ।

३. कृषि ज्ञान केन्द्रों (आयोजनेत्तर पक्ष) में वर्ष २००१-२००२ का पुनरीक्षित अनुमान रू० ५५.०० लाख तथा वर्ष २००२-२००३ का प्रस्तावित अनुमान रू० ४६.४० लाख।

४. पी०एच०डी० छात्रवृत्ति एवं आईसीएआर योजनाओं का २५ प्रतिशत राज्यांश (आयोजनेत्तर पक्ष) में वर्ष २००१-२००२ का पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष २००२-२००३ का प्रस्तावित अनुमान रू० १०४.००लाख ।

मद संख्या २५

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार।

मदसंख्याः २५.१

बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा में अधिष्ठाता की नियुक्ति अवधि के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं शासन के निर्देशानुसार डा० मंशाराम वर्मा, अधिष्ठाता के नियुक्त आदेश में पाँच वर्ष की अवधि के बजाय तीन वर्ष करने का अनुमोदन प्रदान किया एवं तद्नुसार संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश दिये।

मदसंख्याः २५.२

डा० मोती सिंह, प्राध्यापक, उद्यान विभाग को दिनांक १.५.६४ से ३१.५.६६ तक की अवधि का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णयों :

अ. डा० मोती सिंह की वरिष्ठता डा० जी० एस० गौर के सापेक्ष निर्धारित करने एवं डा० मोती सिंह को विभागाध्यक्ष नियुक्त करने तथा,

ब. दिनांक १.५.६४ से ३१.५.६६ तक की अवधि का वेतन डा० मोती सिंह को न दिये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह भी अभिमत व्यक्त किया कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उनकी दिनांक १.६.६४ से ३१.५.६६ तक की अवधि को वरिष्ठता निर्धारित करने के आदेश दिये हैं न कि उक्त अवधि का वेतन दिये जाने का भी ।

अतः डा० मोती सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय को संदर्भित प्रकरण पर माननीय कुलाधिपति के निर्णयोपरान्त ही निर्णय लिया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

9.7.02

(राजीव कुमार दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

दिनांक : ०९ जुलाई, २००२